भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4014

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहन

4014. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मोटर वाहन विभाग के पास पिछले दो वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) 31.10.2024 तक देश में सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जनता को कोई राजसहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्रीकृत वाहन 4 पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 10 दिसंबर, 2024 तक देश भर में स्थापित सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की कुल संख्या 25,202 है।

(ग) सरकार द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया है। 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया है। पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह प्रोत्साहन/रियायत उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम प्रयोक्ताओं) को इलेक्ट्रिक वाहनों के अग्रिम रूप से कम किए गए क्रय मूल्य के रूप में प्रदान की जाती है, ताकि व्यापक रूप से इसे अपनाया जा सके, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा ओईएम (ईवी निर्माताओं) को की जाएगी। इस योजना के तहत ई-बसों की तैनाती, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए अनुदान भी उपलब्ध है।

अनुबंध

'इलेक्ट्रिक वाहन' के संबंध में श्री दीपक अधिकारी (देव) द्वारा पूछे गए दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4014 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**राज्य**	**2022**	**2023**	**2024 (15.12.2024 तक)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	23	26	76
2	आंध्र प्रदेश	29,358	32,870	55,925
3	अरुणाचल प्रदेश	2	21	98
4	असम	40,700	60,793	65,930
5	बिहार	55,753	88,219	1,08,231
6	चंडीगढ़	2,720	6,414	6,812
7	छत्तीसगढ	22,363	38,244	47,609
8	दिल्ली	62,249	73,673	81,143
9	गोवा	5,685	9,482	11,451
10	गुजरात	68,994	88,614	77,858
11	हरियाणा	25,859	30,493	45,652
12	हिमाचल प्रदेश	1,011	1,131	1,999
13	जम्मू और कश्मीर	4,689	9,747	12,960
14	झारखंड	13,680	21,127	25,050
15	कर्नाटक	95,846	1,52,679	1,78,413
16	केरल	39,624	75,805	82,835
17	लद्दाख	40	28	20
18	लक्षद्वीप	1	6	5
19	मध्य प्रदेश	36,814	67,971	96,811
20	महाराष्ट्र	1,36,031	1,94,326	2,41,335
21	मणिपुर	341	399	399
22	मेघालय	41	115	816
23	मिजोरम	36	167	550
24	नगालैंड	3	6	45
25	ओडिशा	28,446	44,549	63,753
26	पुदुचेरी	1,481	2,638	4,536
27	पंजाब	14,055	25,745	45,073
28	राजस्थान	78,252	93,767	1,08,087
29	सिक्किम		0	16
30	तमिलनाडु	66,994	90,296	1,30,014
31	त्रिपुरा	4,178	6,312	9,125
32	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	142	161	472

33	उत्तर प्रदेश	1,62,884	2,78,333	3,60,059
34	उत्तराखंड	15,560	16,799	19,476
35	पश्चिम बंगाल	11,151	21,432	43,538
कुल योग		**10,25,006**	**15,32,388**	**19,26,172**

नोट: तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ आरटीओ के आंकडे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, क्योंकि वे केंद्रीकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

*****